2534

पा॰ 24
05/05/22

प्रारूप सात
(नियम 11 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम , पूरा पता , मोबाइल नम्बर तथा ई मेल आई.डी. : स्व. रतन सिंह स्मृति शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति शंकर चौक ललितपुर कालोनी ग्वालियर
मो. – 9826260116
ईमेल – jbcollege.principal@gmail.com

2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख : 2036 / 06.09.1994

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख : 25.04.2022

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख 15.05.2021 से तारीख 14.05.2024 तक

क्र.	नाम, पिता / पति का नाम	पता	मोबाइल नं.	धारित पद	मुख्य उपजीविका	हस्ताक्षर
1.	श्री सत्य प्रकाश सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह सिकरवार	शंकर चौक ललितपुर कालोनी लश्कर ग्वालियर	9826260116	अध्यक्ष	समाजसेवा	[signature]
2.	श्री सुनील सिंह पुत्र श्री मान सिंह सिकरवार	ग्राम तोर पोस्ट तिलावती तहसील जौरा जिला मुरैना	7067899531	उपाध्यक्ष	समाजसेवा	सुनील सिंह
3.	श्री नरेन्द्र सिंह सिकरवार पुत्र श्री भागीरथ सिंह सिकरवार	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना	9425328701	सचिव	समाजसेवा	नरेन्द्र सिंह
4.	श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह सिकरवार	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना	9589411181	कोषाध्यक्ष	छात्र	धीरेन्द्र सिंह
5.	श्री कृष्णपाल सिंह सिकरवार पुत्र श्री महावीर सिंह सिकरवार	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना	9691298411	संयुक्त सचिव	अध्ययनरत	[signature]
6.	श्रीमती रामकुमारी सिकरवार पत्नी श्री जगराज सिंह सिकरवार	शंकर चौक ललितपुर कालोनी लश्कर ग्वालियर	7047992538	सदस्य	गृहकार्य	रामकुमारी
7.	श्री योगेन्द्र सिह पुत्र श्री मान सिंह सिकरवार	शंकर चौक ललितपुर कालोनी लश्कर ग्वालियर	9425113149	सदस्य	अध्ययनरत	[signature]

5. मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1973 (44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन.................. रुपये की वार्षिक फीस, ऑनलाइन चालान क्रमांक दिनांक ....के माध्यम से जमा कर दी गई है उसकी प्रति संलग्न है चालान आईडेन्टिफिकेशन नम्बर (CIN) ....है।

म॰प्र॰ सो॰र॰ अधि॰ 1973 की -27 के अन्तर्गत जारी नकल

//घोषणा//

मैं **सत्यप्रकाश सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह सिकरवार** आयु लगभग वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के आधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी रहूंगा।

दिनांक 25.04.2022

हस्ताक्षर
नाम– सत्य प्रकाश सिंह
पदनाम– अध्यक्ष / सचिव
मो. 9826260116
ईमेल आई.डी. jbcollege.principal@gmail.com

05.05.22
मोहम्मद जावेद कुरैशी
सहा. रजिस्ट्रार,
फर्म्स एवं संस्थाएं,
ग्वालियर चंबल संभाग,
ग्वालियर (म.प्र.)

–कार्यालय–

स्व.रतन सिंह स्मृति शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति

कार्यालय पता–शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी ग्वालियर वर्ष – 2019

2534

प्रारूप–सात

(नियम 11 देखिये)

रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशन पत्र

(वर्ष 2019)

1. सोसायटी का पूरा नाम तथा पता : स्व. रतन सिंह स्मृति शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी लश्कर ग्वालियर म.प्र.

2. रजिस्ट्रीकरण कमॉक तथा तारीख : 2036 दिनांक – 08.09.1994

3. साधारण निकाय की वार्षिक सम्मेलन की तारीख : दिनांक–20.08.2019

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची : कार्यकाल दिनॉक 20.08.2018 से 19.08.2021 तक

क	नाम / पिता / पति का नाम	पूर्ण पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री सत्य प्रकाश सिंह	शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी लश्कर ग्वालियर म.प्र.	अध्यक्ष	समाजसेवा	[signature]
2	श्री सुनील सिंह	ग्राम तोर पोस्ट तिलावली तह जौरा जिला मुरैना म.प्र.	उपाध्यक्ष	समाजसेवा	[signature]
3	श्री नरेन्द्र सिंह सिकरवार	हाउसिंग बोर्ड कालोनी मुरैना म.प्र.	सचिव	समाजसेवा	[signature]
4	श्री धीरेन्द्र सिंह	हाउसिंग बोर्ड कालोनी मुरैना म.प्र.	कोषाध्यक्ष	छात्र	[signature]
5	श्री कृष्णपाल सिंह सिकरवार	हाउसिंग बोर्ड कालोनी मुरैना म.प्र.	संयुक्त सचिव	अध्ययनरत	[signature]
6	श्रीमती रामकुमारी सिकरवार	शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी लश्कर ग्वालियर म.प्र.	सदस्य	गृहकार्य	[signature]
7	श्री योगेन्द्र सिंह	शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी लश्कर ग्वालियर म.प्र.	सदस्य	अध्ययनरत	[signature]

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27–28 के अधीन सूची की वार्षिक फीस रुपये /–चालान कमॉक तारीख द्वारा जमा कर दी गई है। चालान की मूल प्रति संलग्न है। चालान की मूल प्रति संलग्न है।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

सहा. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, ग्वालियर संभाग ग्वालियर

Scanned by CamScanner

8·9·94

XXX-Part—2]

रूप क्रमांक २
(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक ग्वा० स० 2036

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व० रतन सिंह स्मृति शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति जो [illegible] ग्वालियर [illegible] लश्कर, तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४) के अधीन 8.9.94 को पंजीयित की गई है।

दिनांक आठ माह सितम्बर सन् १९९४

समितियों के रजिस्ट्रार
(एम० जे० कुरेशी)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं ग्वालियर संभाग
ग्वालियर

कार्यालय असि0रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं ग्वालियर चम्बल संभाग ग्वालियर
मान समागार के नीचे मोती महल ग्वालियर

ग्वालियर दिनांक 15-05-2019

क्रमांक / संशो0 / ग्वा0 / 488 / 19

प्रति

अध्यक्ष / सचिव
स्व0रतनसिंह स्मृति शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति
शंकर चौक ललितपुर कालानी लश्कर
ग्वालियर (म0प्र0)

विषय:- संस्था के पंजीकृत विधान में संशोधन बावत्।
संदर्भ -- कार्यालय मे सुधार पाद प्राप्त जानकारी दिनांक 14/5/2019

उक्त संस्था के पंजीकृत विधान के नियम (4) उद्देश्यों मे एवं नियम (14) मे संशोधन किया जाकर संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है संस्था के उक्त नियमों मे किये गये संशोधन को पत्र जारी होने के दिनांक से मान्य किया जाता है।

(बी0डी0कुबेर)
असि0रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाऐं ग्वालियर चम्बल संभाग
ग्वालियर (म0प्र0)

संशोधित

प्रारूप क्रमांक - 1
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र
(देखिये नियम 3)

(1) समिति का नाम : स्व. रतन सिंह स्मृति शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति होगा

(2) समिति का कार्यालय : शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी लश्कर ग्वा. मोहल्ले का नाम ललितपुर कॉलोनी म.नं. C/o गजराज सिंह (पूर्वविधायक) तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर में स्थित होगा ।

(3) समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे-

पंजीयन क्रमांक 2093
पंजीयन दिनांक 8-9-94
संशोधन दिनांक 15.5.2019

1. शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ।
2. महिलाओं के लिये विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना ।
3. महिला एवं बाल कल्याण के लिये विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
4. पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास करना ।
5. युवाओं के लिये स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आयोजित करना ।
6. समिति का गठन सर्व समाज के कल्याण हेतु तथा बिना किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग एवं रंगरुप, भेदभाव के अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है। समिति समाज के हर वर्ग को अपनी धर्मार्थ (Charitable) गतिविधियों द्वारा लाभांन्वित करने हेतु सदा प्रयासशील रहेगी ।
7. समिति का गठन सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं धर्मार्थ (Charitable) कार्यो द्वारा सर्व समाज का लाभंवित करने हेतु किया गया है तथासमिति संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन अथवा लाभार्जित कार्य नही करेगी ।
8. समिति की गतिविधियों से प्राप्त समस्त आय एवं अर्जित संपत्ति का उपयोग सदा सर्वदा समिति के धर्मार्थ (Charitable) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सर्व समाज के कल्याण के लिये सदा सर्वदा किया जायेगा समिति के पदाधिकारीगण एवं सदस्य अन्य किसी प्रकार का कोई लाभ अथवा लाभांश नहीं लेंगे। तथा समिति के किया कलापों से प्राप्त आधिक्य अथवा अधिशेष पुनः समिति के उद्देश्यों के लिये ही इस्तेमाल उपयोग किया जायेगा ।
9. व्यावसायिक महाविद्यालयों का संचालन करना - बी.बी.ए., बी. सी. ए., बी.ए., एम.ए., बी.कॉम. बी. एस. सी., एम.एस. सी., एम. बी. ए., एम. सी. ए., बी.एड., डी.एड. एम. एड, कोर्स, बी.फार्मा. पोलिटेक्निक कॉलेज, आई.टी.आई., इंजीनियरिंग महाविद्यालय, वेटनरी, होम्योपैथिक, फार्मेसी, आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अन्य आधुनिक व्यावसायिक कोर्सेज, चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग बी.एस.सी., नर्सिंग ए.एन.एम., जी.एन.एम. एवं तकनीकी शिक्षा के कोर्सो को संचालित करना ।
10. कम्प्यूटर शिक्षण प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर डेस्कटोप पब्लिसिंग ऑपरेटर डेस्कटोप ऑपरेटर डाटाप्रिपरेशन एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देना एवं कैरियर कन्सलटेंसी का संचालन करना।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

संशोधित नियमावली

(1) संस्था का नाम : स्व. रतन सिंह स्मृति शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति

(2) संस्था का कार्यालय : शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी लश्कर म.नं. मोहल्ले का नाम ललितपुर कॉलोनी तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर म.प्र.

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र : ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश होगा ।

(4) संस्था के उद,देश :- (जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वही लिखें)

पंजीयन क्रमांक 2036
पंजीयन दिनांक 8-9-95
संशोधन दिनांक 15-5-19

1. शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ।
2. महिलाओं के लिये विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना ।
3. महिला एवं बाल कल्याण के लिये विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
4. पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास करना ।
5. युवाओं के लिये स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आयोजित करना ।
6. समिति का गठन सर्व समाज के कल्याण हेतु तथा बिना किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग एवं रंगरुप, भेदभाव के अपने उददेश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है। समिति समाज के हर वर्ग को अपनी धर्मार्थ (Charitable) गतिविधियों द्वारा लाभान्वित करने हेतु सदा प्रयासशील रहेगी ।
7. समिति का गठन सामाजिक उददेश्यों की पूर्ति एवं धर्मार्थ (Charitable) कार्यो द्वारा सर्व समाज का लाभंवित करने हेतु किया गया है तथासमिति संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन अथवा लाभार्जित कार्य नही करेगी ।
8. समिति की गतिविधियों से प्राप्त समस्त आय एवं अर्जित संपत्ति का उपयोग सदा सर्वदा समिति के धर्मार्थ (Charitable) उददेश्यों की पूर्ति हेतु सर्व समाज के कल्याण के लिये सदा सर्वदा किया जायेगा समिति के पदाधिकारीगण एवं सदस्य अन्य किसी प्रकार का कोई लाभ अथवा लाभांश नहीं लेगे। तथा समिति के किया कलापों से प्राप्त आधिक्य अथवा अधिशेष पुनः समिति के उददेश्यों के लिये ही इस्तेमाल उपयोग किया जायेगा ।
9. व्यावसायिक महाविद्यालयों का संचालन करना - डी.बी.ए., बी. सी. ए., बी.ए., एम.ए., बी.कॉम. बी. एस. सी., एम.एस. सी., एम. बी. ए., एम. सी. ए., बी.एड., डी.एड. एम. एड, कोर्स, बी.फार्मा. पोलिटेक्निक कॉलेज, आई.टी.आई., इंजीनियरिंग महाविद्यालय, वेटनरी, होम्योपैथिक, फार्मेसी, आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अन्य आधुनिक व्यावसायिक कोर्सेज, चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग बी.एस.सी., नर्सिंग ए.एन.एम., जी.एन.एम. एवं तकनीकी शिक्षा के कोर्सो को संचालित करना ।
10. कम्प्यूटर शिक्षण प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर डेस्कटोप पब्लिसिंग ऑपरेटर डेस्कटोप ऑपरेटर हायप्रिपरेशन एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देना एवं कैरियर कन्सलटेंसी का संचालन करना।

नरेन्द्र सिंह
सचिव

वीरेन्द्र सिंह
कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

5) सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) संरक्षक सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 1,000 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तो में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 500/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 500/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

(स) साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति रूपये 5/- प्रतिमाह रूपये 60/ प्रति वर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा। जिसके लिये उसने चन्दा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणो के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा। उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन-पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्माननीय सदस्य :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है। परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(6) सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो उसे लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन- पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत करना होगा। जिसे लिये आवेदन - पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

(7) सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।

(2) भारतीय नागरिक हो ।

(3) समिति के नियमों को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो ।

(4) सद्‌चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

(8) सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी :-

(1) मृत्यु हो जाने पर ।

(2) पागल हो जाने पर ।

(3) संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर ।

(4) त्याग-पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।

(5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप से देना होगी ।

नरेन्द्र सिंह   धीरेन्द्र सिंह

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :-

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय ।
(2) वह तारीख जिस दिन सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर ।
(3) वह तारीख जिस दिन सदस्यता समाप्त हुई हो ।

(10) (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयन को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) प्रबन्धकारिणी सभा :- प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

(स) विशेष :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण, प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों ।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
(छ) बजट का अनुमोदन करना ।

(12) प्रबन्धकारिणी का गठन :- ट्रस्टीज यदि कोई हो तो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ, ब, स,) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा -

(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष, (5) संयुक्त सचिव, ए

सदस्य - 2

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

पंजीयन क्रमांक 2036 / 8-9-34
पंजीयन दिनांक 15-5-2019

(13) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ठाकरण होने पर उस समय जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

(14) प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

(ब) पिछले वर्ष का आय - व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल सम्पति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जावें।

(च) संस्था की समस्त चल-अचल सम्पति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित अन्तरित नहीं की जावेगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्ष कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधन पारित होने तक उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

(झ) संस्था को यदि अपने शिक्षण संस्थाओं के विकास कार्यों हेतु यदि कोई ऋण (टर्मलोन) की आवश्यकता होती है। तो उसके लिये सचिव या अध्यक्ष द्वारा किसी शेड्यूल बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक या प्राईवेट लिमिटेड बैंक से ऋण (टर्मलोन) लेना हो तो संस्था अपनी चल अचल संपत्ति को बंधक, गिरवी, मोर्टगेज रखकर विधिवत आवेदन देकर संस्था के लिये ऋण ले सकते है। इसकी सीमा समिति की आवश्यकता अनुसार होगी। तथा उपरोक्त संदर्भ में यदि कहीं किसी भी विभाग द्वारा यदि कोई भी राशि बैंक गारन्टी देने की अथवा जमा करने की आवश्यकता होती है। उसमें सचिव या अध्यक्ष द्वारा बनवाकर दी जायेगी ।

(15) अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

पंजीयन क्रमांक 2036
पंजीयन दिनांक 8-9-94
नवीनीकरण 15-5-2019

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(17) सचिव के अधिकार :-

(1) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक समय - समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
(2) समिति का आय - व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातो को तैयार करना तथा करवाना, उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबन्धकारिणी को देना।
(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 200/- खर्च करने का अधिकार होगा।

(18) संयुक्त सचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

(20) बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 200/ रहेगें ।

(21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्शिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची रजिस्ट्रार के पास फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था का लेखा भेजा जावेगा। उक्त जानकारी विहित शुल्क सहित भेजी जावेगी ।

(22) संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

(23) विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यो के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

पंजीयन क्रमांक 2036
पंजीयन दिनांक 2-9-94
दिनांक 15-5-2019

(24) सम्पत्ति :- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

(25) बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जावेगा एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(26) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(27) विवाद :- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

T.C

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एण्ड सोसायटीज
ग्वालियर (म.प्र.)